## दिल्ली विकास प्राधिकरण DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY



## जुर्माना राहत योजना-2007 Penalty Relief Scheme-2007

अन्तिम अवसर LAST OPPORTUNITY

01.07.2007 से 31.12.2007 तक **From 01.07.2007 to 31.12.2007** 

# हम गौरव के साथ भारत की राजधानी का निर्माण करते हैं । PROUDLY WE BUILD THE CAPITAL OF INDIA

अपनी बकाया राशि का भुगतान करके हमारी सहायता करें और कानूनी कार्रवाई से बचें । HELP US BY PAYING YOUR DUES AND AVOID LEGAL ACTION

PRICE: Rs. 150/Printed at DDA Press/Buld-07

### भूमिका

आबंटितियों की मांग को पूरा करने और आबंटितियों को राहत तथा बेहतर सेवाएं देने के प्रति वचनबद्धता को पूरा करने के लिए दि.वि.प्रा. ने "जुर्माना राहत योजना—2007" नामक एक और योजना प्रारंभ की है, जिसमें आवेदकों द्वारा देय जुर्माने सहित सभी कि तों का एक साथ भुगतान करने पर भोश जुर्माने पर 25% की छूट प्राप्त करने का अवसर दिया गया है । यह योजना 01.07.2007 से 31.12.2007 तक खुली रहेगी । मुझे आशा है कि सभी संबंधित व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाएंगें ।

(दिनेश राय) उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा

#### **FOREWORD**

DDA, in deference to the demand of allottees and it's commitment to provide relief and better service to the allottees, has brought out one more scheme under the name and style of "Penalty Relief Scheme-2007" which provides one time package deal of clearing all the instalments and penalty by availing rebate of 25% on balance penalty payable by the applicant. The scheme will be open from 01.07.2007 to 31.12.2007. I am sure, all concerned would avail of this opportunity.

[ DINESH RAI ] VICE-CHAIRMAN DDA

#### प्राक्कथन

सामान्य आवास योजना और न्यू पैटर्न आवासीय योजना के अन्तर्गत बहुत से आबंटितियों को किराया खरीद आधार पर फ्लैट आबंटित किए गए। यह पाया गया है कि बहुत से आबंटितियों ने अपनी किराया खरीद किस्तों का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया है।

आबंटितियों, वेलफेयर एसोसिएशनों, विरष्ठ नागरिकों और प्राधिकरण के सदस्यों के अनुरोध पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आबंटितियों को राहत देने के लिए "जुर्माना राहत योजना—2007" प्रस्तुत की है । यह योजना अर्ध—नकद खरीद और विस्तारणीय आवास योजना के अन्तर्गत आबंटितियों के लिए भी लागू की गयी है । जो आबंटिती "जुर्माना राहत योजना—2007" के अन्तर्गत अपनी बकाया किस्तों और ब्याज का भुगतान करेंगे उनके लिए इस योजना के अंतर्गत बकाया ब्याज / जुर्माने पर 25% की छूट मिलेगी । आबंटन के मौजूदा निबन्धनों और शर्तों के अनुसार ब्याज दर पहले महीने के लिए 12% और बाद की अवधि के लिए 18% प्रति वर्ष है और यह छूट आवेदक द्वारा देय शेष जुर्माना राशि पर लागू होगी । योजना 1.7.2007 से 31.12.2007 तक खुली रहेगी ।

जो आबंटिती अपनी बकाया राशि का भुगतान करना चाहते हैं, उनके लिए इस विवरणिका को इस तरह से संकलित किया गया है कि उनको गणना करने में आसानी हो । इसमें योजना की प्रमुख विशे ाताएं दी गई हैं और भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की विधि, आवेदक द्वारा देय ो । जुर्माना शुल्क पर देय छूट इत्यादि के संबंध में पूर्ण मार्गदर्शन दिया गया है । हमें आशा है कि यह विस्तृत पुस्तिका आबंटितियों की सहायता करेगी और उनकी बकाया देय राशि का भुगतान करने की गणना को सरल बनाएगी ।

(नंद लाल) वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

#### **PREFACE**

Flats under the General Housing Scheme and NPRS Scheme were allotted to a number of allottees on Hire Purchase basis. It has been found that a number of allottees have not paid their Hire Purchase Instalments regularly.

On the request of allottees, Welfare Associations, Senior Citizens and Hon'ble Members of the Authority, DDA has offered "Penalty Relief Scheme-2007" for providing relief to allottees banking upon a reciprocal response from them. The scheme is also made available to allottees of Semi Cash Down and under EHS Category. Package deal has been worked out to the allottees who clear their overdue instalments and interest under the "Penalty Relief Scheme-2007" availing a rebate of 25% on balance interest/penalty payable only. As per the existing terms and conditions the rate of interest is @ 12% p.a. for the first month and 18% p.a. for subsequent belated period. The rebate will be applicable to balance penalty payable by the applicant. The scheme is open from 1.7.2007 to 31.12.2007.

This Booklet has been compiled to facilitate easy calculations for the allottees who want to clear their dues. It contains salient features of the scheme and provides complete guidelines regarding amount to be paid, mode of payable rebate admissible on balance penalty as may become payable by applicant etc. We do expect that this exhaustive booklet will assist the allottees and enable ease of computation and payments by them of their dues.

[NAND LAL] FINANCE MEMBER DDA

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

- 1) इस योजना को ''जुर्माना राहत योजना–2007'' के नाम से जाना जाएगा ।
- 2) यह योजना 1.7.2007 से 31.12.2007 तक लागू रहेगी ।
- 3) जिन पर योजना लागू होगी

यह योजना निम्नलिखित आवासीय योजनाओं के आबंटितियों पर लागू होगी।

- क) सामान्य आवास योजना (सामान्य)
- ख) न्यू पैटर्न आवासीय–1979 (इसको हुड़को योजना के नाम से भी जाना जाता है) (न्यू पेट यो.)
- ग) सेवानिवृत्तमान व्यक्तियों हेतु योजना (से.मू.क.यो.)
- घ) अम्बेडकर आवास योजना (अ.आ.यो.)
- ड) सभी जनता योजनाएं / ई.डब्लू एस.–एच.एस.एम. के.जे.डी.–2001 (जनता)
- च) अर्ध-नकद खरीद आधार पर आबंटन (एस.सी.डी.)
- छ) १९९५ और १९९६ की विस्तारणीय आवास योजनाएं । (ई.एच.एस.)
- ज) एच.आई.जी. आवास योजना (किराया खरीद मामले में) (एच.आई.जी.)
- झ) पंजाब प्रवासी (पी.एम.)
- ज्ञ) कश्मीरी प्रवासी (के.एम.)
- 4) जिन पर योजना लागू नहीं होगी

यह योजना निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :-

- क) विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत नकद आधार पर किए गए आबंटन ।
- ख) स्व वित्त योजना
- ग) व्यावसायिक फ्लैट
- 5) पात्रता
- क) यह योजना केवल उन आबंटितियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन करने के साथ निम्नलिखित देय राशियों का भूगतान भी किया होगा ।
- 1. आवेदन करने की तिथि तक सभी बकाया देय किस्तों का भुगतान ।
- 2. राहत के पश्चात उपरोक्त पर ब्याज / जुर्माना ।
- ख) यदि आबंटिती ने जुर्माना राशि से 25,000 / –रु. कम भी जमा कराएं है तो उनका मामला अस्वीकार नहीं किया जाएगा, परतु उन्हें आवेदन की तिथि को 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सिहत मांगी गयी ो । राशि जमा करानी होगी । मांग के 3 महीने के अंदर इस राशि के भुगतान न किए जाने पर सम्पत्ति को रद्द कर दिया जाएगा और जुर्माना राहत योजना–2007 के अन्तर्गत राहत समाप्त कर दी जाएगी ।

अर्ध नकद आधार पर और विस्तारणीय आवास योजना, 1996 के आबंटितियों के मामले में उन्हें जुर्माना राहत योजना के अंतर्गत लाभ तभी मिलेगा जब वे ो ा राशि अर्थात बकाया किश्तों का नकद भुगतान करेंगे ।

ग) यह योजना ऐसे आबंटितियों पर भी लागू होगी, जिन्होंने अपनी सभी देय किश्तों का पहले ही भुगतान कर दिया है परन्तु पूर्व में देरी से किए गए भुगतान पर आबंटन के मूल निबंधन एवं शर्तों के अनुसार देय जुर्माना राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । ऐसे मामलों में राहत ोष देय जुर्माने पर मिलेगी, जो अब देय हो गई है ।

#### **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

- 1. This scheme shall be known under the name and style of "Penalty Relief Scheme-2007" (PRS-2007)
- 2. This scheme shall be operative from 01.07.2007 to 31.12.2007.

#### 3. **APPLICABILITY:**

The scheme shall be applicable to the allottees of following housing schemes:-

- a) General Housing Schemes.(GENL)
- b) New Pattern Registration Scheme-1979 (also known as HUDCO scheme). (NPRS)
- c) Retiring Personnel Scheme. (RPS)
- d) Ambedker Awas Yojna Scheme. (AAYS)
- e) All Janta Schemes/EWS-HSMKJD-2001 (JANTA)
- f) Allotment on Semi-Cash Down Scheme basis. (SCD)
- g) Expandable Housing Scheme of 1995 and 1996. (EHS)
- h) HIG Housing Scheme (Hire Purchase cases). (HIG)
- i) Punjab Migrants. (PM)
- j) Kashmiri Migrants. (KM)

#### 4. **NOT APPLICABLE:**

This scheme shall not be applicable to:

- a) Allotments made on cash down basis under the various Housing Schemes.
- b) Self Financing Scheme.
- c) Commercial Flats.

#### 5. **FLIGIBILITY:**

- a) This scheme shall be available only to those allottees who shall make payment of following dues along with the application.
- i. All outstanding instalments due upto the date of application.
- ii. Interest/penalty on above after relief.
- b) If applicant has deposited the amount of penalty short by upto Rs. 25000/- his case will not be rejected but he will have to deposit the balance amount of demand, together with interest @ 18% p.a. from the date of application. Failure to pay this amount within three months from demand would result into cancellation of property and rejection of relief under PRS-2007.
  - In case of allottees of Semi Cash down basis and EHS-1996, the benefit under penalty relief scheme will be available only if they also make balance payment i.e. Cash Down payment of pending instalments.
- c) This scheme shall also be applicable to those allottees who have already paid all due instalments but penalty under the original terms and conditions of allotment still remains unpaid on account of belated payment of instalments in the past. In such cases rebate will be admissible only on balance penalty which may become payable now.

- घ) पहले के मामलों, जिनमें आबंटन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार और दि.वि.प्रा. की किराया—खरीद जुर्माना राहत योजना 1995, 1996 1997, 1998 और 2001 के अंतर्गत जुर्माना राशि का भुगतान किया जा चुका है / मामले को निपटाया जा चुका है, को दुबारा नहीं खोला जाएगा और उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी ।
- ड.) यदि आबंटिती ने योजना के मूल निबंधनों अथवा पहले की जुर्माना राहत योजना के अनुसार जुर्माना—राशि का भुगतान कर दिया है और इस योजना के अंतर्गत जुर्माना जमा की गयी राशि से कम है तो कोई वापसी नहीं की जाएगी और जमा की गयी राशि को उस समय प्रचलित जुर्माना माना जाएगा ।
- च) आबंटिती से यह भी अनुरोध है कि यदि उन्होंने पहले की जुर्माना राहत योजना के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त की है तो पहले की जुर्माना राहत योजना के बेबाकी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

#### 6) मुख्य विशे ।ताएं :

- क) पैरा–3 (क) से (छ) में वर्णित आबंटिति / आबंटितियों से किश्त / किश्तों का देरी से भुगतान करने की अवधि के लिए प्रथम माह के लिए 12 % प्रति वर्ष की दर से ब्याज और बाद के माह के लिए 18 % वार्षिक ब्याज वसूल किया जाएगा बशर्ते कि वे उपरोक्त 5 (क) के अनुसार भुगतान कर देते हैं ।
- ख) किराया खरीद योजना के आबंटन—निबंधनों के अनुसार, यदि आबंटिती लगातार छह महीनों तक मासिक किश्तों का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो किराया—खरीद किरायेंदारी अनुबन्ध रद्द हो जाएगा और उसे निर्धारित दरों पर बहाली प्रभार का भुगतान करके बहाल करवाया जा सकता है । राहत योजना के अंतर्गत कोई बहाली प्रभार देय नहीं है, जब तक कि किराया—खरीदारी अनुबंध को औपचारिक तौर पर रद्द न कर दिया गया हो ।
- ग) किश्तों के विलंब से भुगतान / भुगतान नहीं करने पर भुगतान नहीं किए गए जुर्माने अर्थात ब्याज के संबंध में 25 % राहत ।

#### 7) <u>वित्त / ऋण</u>

- क) आबंटिती दि.वि.प्रा. का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना निम्न–लिखित संस्थानों के पास मकान को बंधक रखकर आवासीय ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं । तथापि, जिस संस्थान के पास फ्लैट बंधक रखा गया है, उस संस्थान की सूचना दि.वि. प्रा. को अवश्य दी जाए ।
- i. भारत सरकार
- ii. राज्य सरकार
- iii. केन्द्र शासित पशासन
- iv. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्तशासी
- v. राष्ट्रीयकृत बैंक
- vi. भारतीय जीवन बीमा निगम
- vii. भारतीय सामान्य बीमा निगम
- viii. आवास विकास वित्त निगम
- ix. सहकारी बैंक
- X. दिल्ली नगर निगम
- xi. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद
- xii. अंशधारिता को ध्यान में रखे बिना संयुक्त क्षेत्र की सभी कम्पनियां
- xiii. दिल्ली विश्वविद्यालय

- d) The past cases wherein payment of penalty in accordance with the allotment terms and conditions and DDA Hire Purchase Penalty Relief Schemes-1995, 1996, 1997, A.S. 1998 and 2001 have already been made/settled shall not be reopened and entertained in any case.
- e) If the allottee has already deposited amount of penalty as per original terms of the scheme or earlier penalty relief scheme and penalty under this scheme is less than the amount deposited, no refund will be given and amount deposited will be treated as penalty prevalent at that point of time.
- f) The allottee is also requested to attach the photo copy of No Dues Certificate of earlier PRS, if he has availed the facilities under earlier PRS.

#### 6. **SALIENT FEATURES:**

- a) Allottee(s) as referred to in Para 3(a) to (j) above shall be charged interest @ 12% p.a. for first month and 18% per annum for subsequent month of default in making payment of instalment(s) provided they make payment as per 5(a) above.
- b) As per allotment terms of Hire Purchase Scheme, if an allottee fails to pay monthly instalment, for consecutive six months, the Hire Purchase Tenancy Agreements are liable to be terminated and same may be restored against the payment of restoration charges at prescribed rates. Under the PRS 2007 no restoration charges are payable unless Hire Purchase Tenancy Agreements have already been formally terminated.
- c) 25% relief in respect of unpaid penalty (i.e. interest) on late/non-payment of instalment(s).

#### 7. FINANCE/LOAN:

- a) The allottee can avail housing loan by mortgaging the house to following institutions without prior approval of the DDA, however, an intimation regarding institution to which flat has been mortgaged must be sent to the DDA:
  - i) Government of India.
  - ii) State Governments.
  - iii) Union Territory Administration.
  - iv) Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies.
  - v) Nationalized Banks.
  - vi) Life Insurance Corporation of India.
  - vii) General Insurance Corporation of India.
  - viii) Housing Development Finance Corporation.
  - ix) Co-operative Banks.
  - x) M.C.D.
  - xi) N.D.M.C.
  - xii) All joint Sector Companies-irrespective of the percentage of share holding.
  - xiii) University of Delhi.

- Xiv. सभी संगठन निजी अथवा सार्वजनिक, जिन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार से सामान्य बंधक अनुमति के उद्देश्य के लिए अनुमोदन प्राप्त है और जो भारतीय रिजर्व बैंक से आवास वित्त कम्पनी के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।
- XV. भवन निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण देने वाले सभी वित्तीय संस्थान यदि उनकी बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा है और वे प्रतिष्ठित कम्पनी हैं तथा उनका पांच करोड अथवा इससे अधिक का पूंजी आधार है ।
- xvi. सभी वित्तीय संस्थान / बैंक जिन पर आर.बी.आई. अथवा भारत सरकार का नियंत्रण है, भले ही सरकार की अंशधारिता का प्रतिशत कितना भी हो ।
- xvii. पांच करोड़ रुपये के पूंजी—आधार वाली सभी सार्वजनिक कमपनियां, बशर्ते कि उनकी अपने कर्मचारियों की भवन निर्माण अग्रिम (एच.बी.ए.) देने के लिए योजना हो और ऐसे अग्रिम प्रदान करने के लिए भवन बंधक रखना अपेक्षित हो ।
- 8) जुर्माना राहत योजना—2007 (पी.आर.एस.—2007) के अन्तर्गत ब्याज की गणना किस प्रकार करें :—
- क) पी.आर.एस.—2007—योजना के अंतर्गत आबंटिती उपरोक्त पैरा—6 (क) एवं 6 (ग) में निर्धारित दरों पर अदा की जाने वाली ब्याज की गणना करेंगे ।
- ख) आबंटितियों की सुविधा हेतु ब्याज की गणना के लिए एक प्रपत्र अनुबंध ''क'' के रूप में संलग्न है । जुर्माने की राशि निकालने के लिए तालिका—''क'' में एक उदाहरण भी दिया गया है ।
- ग) आबंटितियों द्वारा की गई गणनाएं, दि.वि.प्रा. द्वारा अंतिम जांच की शर्त पर आधारित है और विभाग द्वारा जांची गई राशि ही आबंटितियों द्वारा वास्तव में भुगतान योग्य राशि होगी ।

#### (9) गलत गणनाओं हेतु

आबंटन की ार्तों के अनुसार मासिक किश्तों के भुगतान की देय तिथि प्रत्येक माह की 10 तारीख है। जिस माह से संबंधित किश्त है, उस माह की 10 तारीख तक मासिक किश्त का भुगतान कर दिये जाने के मामलो में उस माह के लिए आबंटिती द्वारा कोई जुर्माना देय नहीं है। जब आबंटिती, देय तिथि (प्रत्येक माह की 10 तारीख) तक मासिक किश्त का भुगतान करने में असफल रहता है तो आबंटिती द्वारा संपूर्ण माह के लिए निर्धारित जुर्माने की दर देय है।

- 10) जुर्माना राहत योजना–2007 के अंतर्गत राशि कैसे और कहां जमा की जानी है
- क) आबंटिती अपनी देय किश्तों और ब्याज / जुर्माने की राशि विकास सदन, आई.एन.ए., डी.डी.ए. बिल्डिंग में स्थित भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दो नोडल शाखाओं में जमा करा सकते हैं।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
   सी–3, आई.एन.ए. विकास सदन, नई दिल्ली–110023
- सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
   सी–3, डी.डी.ए. बिल्डिंग, आई.एन.ए. विकास सदन, नई दिल्ली–110023
- ख. वर्तमान योजना के अंतर्गत राहत का लाभ उठाने के इच्छुक आबंटिती इस पुस्तिका के साथ संलग्न चालान फार्म का ही प्रयोग करें ।

- xiv) All Organization, Private or Public, which receive the approval of Govt. of India, State Govt.'s for the purpose of general mortgage permission and are recognized by RBI as a Housing Finance Company.
- xv) All Financial Instituions extending loans to individuals for House Building, if they are leading companies with good market standing and repute say with a capital base of Rs.5 crore or so.
- xvi) All Financial Institutions/Banks which are controlled by RBI or the Govt. of India irrespective of the percentage of Govt. share holding.
- xvii) All Public Companies with a capital base of Rs. 5 Crore provided they have a scheme for granting HBA to their employees and the mortgage is required for grant of such advances.

#### 8. HOW TO CALCULATE INTEREST UNDER PENALTY RELIEF SCHEME-2007

- a) Under the PRS-2007 Scheme, an allottee shall calculate the payable interest at the rates prescribed in Para 6(a) and (c) above.
- b) For the convernience of the allottee(s) a proforma for calculating the interest is annexed as **Annexure-A**. An example for working out the amount of penalty has also been given in the **Table-A**.
- c) The calculations made by the allottees are subject to final checking in the DDA and the amount as checked by the department would be the amount actually payable by the allottees.

#### 9. **FOR DEFAULT CACULATIONS:**

As per terms of allotment, the due date of payment of monthly instalment is 10<sup>th</sup> of each month. In case, payment of monthly instalment is made by 10<sup>th</sup> of month to which the instalment relates, no penalty is payable by the allottee for that month. When allottees fails to pay the monthly instalment by due date (10<sup>th</sup> day of each month), penalty at the prescribed rate of penalty for complete month is payable by the allottee.

#### 10. HOW AND WHERE THE AMOUNT UNDER PRS-2007 TO BE DEPOSITED:

- a) The allottee(s) can deposit their due instalments and interest/penalty in the two nodal branches of State Bank of India and Central Bank of India located at Vikas Sadan, INA DDA Bulding, New Delhi.
  - State Bank of India C-3, DDA Building, INA, Vikas Sadan, New Delhi-110023.
  - ii Central Bank of India C-3, DDA Building, INA, Vikas Sadan, New Delhi-110023.
- b) The allottee intending to avail the relief under the present scheme should use only the challan form appended with the Booklet.

- ग. आबंटिती चालान के कालमों की आवश्यकतानुसार चालान फार्म को सही—सही भरें और देय राशि को डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे आर्डर के माध्यम से ऊपर लिखित बैंक में जमा करवाकर चालान के साथ संलग्न करें । डिमांड—ड्राफ्ट / पे आर्डर दि.वि.प्रा. आवास—जुर्माना राहत योजना—2007 के पक्ष में देय होना चाहिए । भुगतान कोड बैंक चालान में निर्दिष्ट किए गए हैं । यह कोड संख्या चालान फार्म में कोड कालम में भरी जाए और अलग से निर्दिष्ट की जाए ।
- घ. बैंक चालान की प्रथम और द्वितीय प्रति को अपने पास रखेगा तथा तृतीय और चतुर्थ प्रति विधिवत् प्राप्त करने के बाद आबंटितियों को सौंप देगा । आबंटिती चालान की चतुर्थ प्रति को अपने रिकार्ड के लिए अपने पास रखेगा और तृतीय प्रति आवेदन पत्र सहित संबंधित वरिष्ठ लेखा अधिकारी को भेज दी जाएगी ।

#### 11) भुगतान का सूचना-पत्र प्रस्तुत करना

- क. इस पुस्तिका में वर्तमान स्कीम के अंतर्गत किश्तों और ब्याज के भुगतान का एक नमूना सूचना पत्र दिया गया है । आबंटिती को यह साफ—साफ पठनीय अक्षरों में ध्यान पूर्वक भरना चाहिए । आबंटिती का नाम और पता साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए ।
- ख. आबंटिती या तो इस पुस्तिका के साथ संलग्न सूचना-पत्र का प्रयोग कर सकते हैं या इसकी फोटोकापी करा लें अथवा साफ-साफ टाइप करा सकते हैं ।
- ग. चालान की तृतीय प्रति सहित सूचना—पत्र और अनुबंध ''क'' या तो पंजीकृत डाक से भेजे जा सकते हैं या काउंटर नं.—11 पर, डी ब्लाक, भूतल, विकास सदन, नई दिल्ली—23 में जमा किए जा सकते हैं ।

#### महत्वपूर्ण टिप्पणी

आवेदकों के हित में उन्हें यह सलाह दी जाती हैं कि वे निम्नलिखित कागजात संलग्न करें :-

- 1) मांग एवं आवंटन पत्र की फोटो प्रति ।
- 2) चालान जिसके माध्यम से आरंभिक जमा राशि जमा की गई थीं, की फोटो प्रति ।
- 3) अब तक भुगतान की गई सभी किश्तों के संबंध में चालान की तृतीय प्रति / स्वच्छ फोटो प्रति ।
- 4) आस्थगन पत्र, यदि कोई हो ।
- 5) लिए गये वास्तविक कब्जे के प्रमाण सहित कब्जा पत्र की फोटो प्रति ।
- 6) अनापत्ति प्रमाण-पत्र यदि पहले उपलब्ध हो ।

#### आवेदन-पत्र के बिकी काउन्टर

आवेदक हमारे निम्नलिखित काउन्टरों से आवेदन फार्म खरीद सकते है :-

- 1. काउन्टर सं. 11, डी. ब्लांक, भू–तल, विकास सदन, नई दिल्ली ।
- 2. उप मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय, सीएयू, द्वारका, मंगलापुरी, नई दिल्ली ।
- 3. उप मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय, उ.क्षे. रेलवे क्रॉसिंग, अशोक विहार, दिल्ली ।
- 4. उप मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय, सीएयू रोहिणी, दीपाली चौक रोहिणी, सेक्टर-3, नई दिल्ली ।
- 5. उप मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय, द.पू. जोन, खेल गांव, नई दिल्ली ।
- 6. उप मुख्य लेखाधिकारी , द.पू.जोन, बसन्त कुंज, नई दिल्ली
- 7. उप मुख्य लेखाधिकारी, यमुना पार क्षेत्र पुश्ता, नई दिल्ली ।
- 8. अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, एन डी-4, नरेला, दिल्ली-40 ।
- 9. अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, प. खंड–७, डबल टंकी, बाह्य रिंग रोड, पश्चिम विहार, नई दिल्ली ।
- 10 अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, द.पू.खंड–1, सरिता विहार, नई दिल्ली ।
- 11. अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, पू.खंड-2, दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली ।
- 12. आबंटिती, हमारी वैब साइट ''डब्लूडब्लू-डीडीए ऑर्ग.इन'' से आवेदन पत्र डाउन लोड कर सकते हैं।

- c) The allottee shall fill up the challan form correctly as per requirement of the columns of the challan and shall deposit the payable amount by way of either demand draft or pay order to be attached with the challan. The DD/Pay Order may be drawn in favour of "DDA HOUSING-PRS 2007". The payment codes are indicated on the bank challan. This code number should be inserted under the colums CODE in challan form and should be indicated separately.
- d) The Bank shall retain first and second copy of the challan and third and fourth copy of the challan duly acknowledged by bank shall be handed over to the allottee. The allottee shall retain fourth copy of challan for his own record and third copy would be transmitted to the concerned Sr. Accounts Officer along with the application form.

#### 11. SUBMISSION OF INTIMATION LETTER OF PAYMENT

- a) This booklet also contains a specimen intimation letter of payment of instalments and interest under the present scheme. The allottee is advised to fill up the same with due care legibly and preferably in capital block letters. The name and address of the allottee should, however, be written in 'CAPITAL BLOCK LETTERS'.
- b) The allottee has option to use either the intimation letter appended with booklet or he can also take out its photocopy for use or type it legibly.
- c) Intimation letter alongwith the third copy of the challan and Annexure-A can be sent either by registered post or deposited at Counter No. 11, D Block, Ground Floor, Vikas Sadan, New Delhi-110023.

#### **IMPORTANT FOOT NOTE:**

The applicants are advised in their own interest to attach the following documents:-

- I. Photocopy of demand-cum-allotment letter.
- II. Photocopy of challan through which initial deposit was deposited.
- III. Third copy / legible photocopies of the challans in respect of all the instalments paid so far.
- IV. Deferment letter, if any.
- V. Photocopy of possession letter with proof of physical possession taken over.
- VI. NOC if already availed.

#### **SALE OF APPLICATION FORM COUNTERS:**

The allottee can purchase the application form from our following sale counters:

- 1. Counter No. 11, D-Block, Ground Floor, Vikas Sadan, New Delhi.
- 2. Office of the Dy. Chief Accounts Officer, CAU, Dwarka, Mangla Puri, New Delhi.
- 3. Office of the Dy. Chief Accounts Officer, (NZ), Rly. X-ing, Ashok Vihar, New Delhi.
- 4. Office of the Dy. Chief Accounts Officer, CAU, Rohini, Deepali Chowk, Sector-3, Rohini, Delhi.
- 5. Office of the Dy. Chief Accounts Officer, CAU, SEZ, Khel Gaon, A.G.V.C. New Delhi.
- 6. Office of the Dy. Chief Accounts Officer, CAU, SWZ, Vasant Kunj, New Delhi.
- 7. Office of the Dy. Chief Accounts Officer, CAU, Trans Yamuna Area, Pusta, Delhi.
- 8. Office of the Ex. Engineer, ND-4, Narela, Delhi-110040.
- 9. Office of the Ex. Engineer, WD-7, Double Tanki, Outer Ring Road, Paschim Vihar, New Delhi.
- 10. Office of the Ex. Engineer, SED-I, CSC Pkt-E Sarita Vihar.
- 11. Office of the Ex. Engineer, ED-2, Dilshad Garden, Delhi.
- 12. The allottee can download the application form from our website <a href="www.dda.org.in.">www.dda.org.in.</a>

#### किराया खरीद आधार पर पुल पह्लादपुर में आबंटित मध्यम आय वर्ग के फ्लैट के संबंध में परिकलन शीट

### Calculation sheet in respect of a MIG Flat Pul Pahladpur Allotted on Hire Purchase Basis.

प्रत्येक मासिक किश्त की राशि

Amount of each monthly instalment

Rs. 3,965.28

किश्तों की संख्या

No. of Instalments

120

आरम्भ होने की तिथि

Date of Commencement

10.01.1994

किश्त	देय	जमा	चालान	बैंक एवं	राशि	महीनों की	वेरी
सं.	तिथि	करने	सं.	शाखा	Amount	Delay in	months
Instal ments	की तिथि Due	Date of Deposit	Challan No.	Bank & Branch		पहले  महीने lst Month	बाद के महीन Subse
No.	Date						
1.	10.1.94	8.1.94			3965.28	_	
2.	10.2.94	29.3.94			7930.56	I	1
3.	10.3.94	29.3.94			_	I	_
4.	10.4.94	29.3.94			7930.56	_	_
5.	10.5.94	29.3.94			_	_	_
6.	10.6.94	25.10.94			7930.56	I	4
7.	10.7.94	25.10.94			_	I	3
8.	10.8.94	15.12.94			19826.40	1	4
9.	10.9.94	15.12.94			_	1	3
10.	10.10.94	15.12.94			_	I	2
11.	10.11.94	15.12.94			_	1	1
12.	10.12.94	15.12.94			_	I	_
13.	10.1.95	10.4.95			15861.12	I	2
14.	10.2.95	10.4.95			_	I	1
15.	10.3.95	10.4.95			_	I	_
16.	10.4.95	10.4.95			_	_	_
17.	10.5.95	24.7.95			3965.28	1	2
18.	10.6.95	20.5.96			19826.40	1	11
19.	10.7.95	20.5.96			_	1	10
20.	10.8.95	20.5.96			_	I	9
21.	10.9.95	20.5.96			_	1	8
22.	10.10.95	20.5.96			_	1	7
23.	10.11.95	9.7.96			11895.84	1	7
24.	10.12.95	9.7.96			_	1	6
25.	10.1.96	9.7.96			_	1	5
26.	10.2.96	7.8.96			3956.28	I	5
27.	10.3.96	5.9.96			15861.12	I	5
28.	10.4.96	5.9.96			_	I	4
29.	10.5.96	5.9.96			_	I	3
30.	10.6.96	5.9.96				1	2

किश्त सं.	देय तिथि	जमा करने	चालान सं.	बैंक एवं शाखा	राशि Amount	महीनों र्क Delay in	
					Amount	•	
Instal ments	की तिथि Due	Date of	Challan No.	Bank & Branch		पहले महीने Ist Month	बाद के महीन Subse
No.	Date	Deposit	NO.	Dianch		ist worth	Subse
31.	10.7.96	20.9.96	1 1 1 1		11895.84	<u> </u>	2
32.	10.8.96	20.9.96				I	1
33.	10.9.96	20.9.96			_	1	_
34.	10.10.96	15.3.97			7930.56	I	5
35.	10.11.96	15.3.97				1	4
36.	10.12.96	14.6.98			35687.52	I	18
37.	10.1.97	14.6.98			_	1	17
38.	10.2.97	14.6.98				1	16
39.	10.3.97	14.6.98			_	1	15
40.	10.4.97	14.6.98			_	1	14
41.	10.5.97	14.6.98			_	I	13
42.	10.6.97	14.6.98			_	I	12
43.	10.7.97	14.6.98			_	1	11
44.	10.8.97	14.6.98			_	1	10
45.	10.9.97	20.6.98	735	A-C	7930.56	1	9
46.	10.10.97	20.6.98			_	1	8
47.	10.11.97	5.7.98		A-C	15861.12	1	7
48.	10.12.97	5.7.98			_	1	6
49.	10.1.98	5.7.98			_	1	5
50.	10.2.98	5.7.98				1	4
51.	10.3.98	9.7.98	596	A-C	19826.40	1	3
52.	10.4.98	9.7.98			_	1	2
53.	10.5.98	9.7.98			_	1	1
54.	10.6.98	9.7.98			_	1	_
55.	10.7.98	9.7.98			_	_	_
56.	10.8.98	6.8.88	753	A-C	3965.28	_	_
57.	10.9.98	7.9.98	758	A-C	3965.28	_	_
58.	10.10.98	5.10.98	761	A-C	3965.28	_	_
59.	10.11.98	3.11.98	777	A-C	3965.28	_	_
60.	10.12.98	12.12.98	797	A-C	3965.28	1	_
61.	10.1.99	11.1.99	801	A-C	3965.28	1	_
62.	10.2.99	5.2.99	563	A-C	3965.28	_	_
63.	10.3.99	7.3.99	674	A-C	3965.28	_	
64.	10.4.99	10.4.99	675	A-C	3965.28	_	
65.	10.5.99	9.5.99	951	A-C	3965.28		_
66.	10.6.99	10.10.01	759	A-C	35687.52	I	27
67.	10.7.99	10.10.01			_	I	26
68.	10.8.99	10.10.01				I	25
69.	10.9.99	10.10.01			_	I	24
70.	10.10.99	10.10.01			_	I	23
71.	10.11.99	10.10.01			_	1	22
72.	10.12.99	10.10.01			_	1	21
73.	10.1.00	10.10.01			_	Ī	20

किश्त	देय	जमा	चालान	बैंक एवं	राशि	महीनों की	
सं.	तिथि	करने	सं.	शाखा	Amount	Delay in	months
Instal	की तिथि	Date of	Challan	Bank &		पहले महीने	बाद के महीन
ments No.	Due Date	Deposit	No.	Branch		Ist Month	Subse
74.	10.2.00	10.10.01			<u> </u>		19
75.	10.3.00	10.11.01	760	A-C	39652.80	I	19
76.	10.4.00	10.11.01			_	I	18
77.	10.5.00	10.11.01			_	I	17
78.	10.6.00	10.11.01			_	I	16
79.	10.7.00	10.11.01			_	I	15
80.	10.8.00	10.11.01			_	I	14
81.	10.9.00	10.11.01			_	ı	13
82.	10.10.00	10.11.01			_	ı	12
83.	10.11.00	10.11.01			_	ı	11
84.	10.12.00	10.11.01			_	ı	10
85.	10.1.01	10.12.01	787	A-C	39652.80	ı	10
86.	10.2.01	10.12.01			_	1	9
87.	10.3.01	10.12.01			_	ı	8
88.	10.4.01	10.12.01			_	ı	7
89.	10.5.01	10.12.01			_	ı	6
90.	10.6.01	10.12.01			_	ı	5
91.	10.7.01	10.12.01			_	ı	4
92.	10.8.01	10.12.01			_	1	3
93.	10.9.01	10.11.01			_	ı	2
94.	10.10.01	10.12.01			_	1	1
95.	10.11.01	10.1.02	765	A-C	11895.84	1	1
96.	10.12.01	10.1.02			_	1	_
97.	10.1.02	10.1.02			_	_	_
98.	10.2.02	10.2.02	777	A-C	3965.28	_	_
99.	10.3.02	9.3.02	797	A-C	3965.28	_	_
100.	10.4.02	9.3.02	365	A-C	3965.28	_	_
101.	10.5.02	7.5.02	364	A-C	3965.28	_	_
102.	10.6.02	8.6.02	311	A-C	3965.28	_	_
103.	10.7.02	12.6.03	211	A-C	47583.36	1	11
104.	10.8.02	12.6.03		, . <b>.</b>	—	i	10
105.	10.9.02	12.6.03				i	9
106.	10.10.02	12.6.03				i	8
107.	10.11.02	12.6.03			_	i	7
108.	10.12.02	12.6.03			_	i	6
109.	10.1.03	12.6.03			_	i	5
110.	10.1.03	12.6.03			_	i	4
111.	10.2.03	12.6.03			_	·	3
112.	10.4.03	12.6.03			_	·	2
113.	10.4.03	12.6.03			<u> </u>	' 	1
114.	10.5.03	12.6.03			_	ı I	<u>'</u>
115.	10.0.03	3.7.03	209	A-C	— 3965.28	<u> </u>	_
116.	10.7.03	4.8.03	209	A-C A-C	3965.28	<del></del>	_

किश्त	देय	जमा	चालान	बैंक एवं	राशि	महीनों र्क	
सं. Instal ments No.	तिथि की तिथि Due Date	करने Date of Deposit	सं. Challan No.	शाखा Bank & Branch	Amount	Delay in ਧहलੇ ਸहੀਜੇ Ist Month	months बाद के महीन Subse
117. 118. 119. 120.	10.9.03 10.10.03 10.11.03 10.12.03	9.9.03 10.10.03 10.11.03 2.12.03	97 67 053 035	A-C A-C A-C A-C	3965.28 3965.28 3965.28 3965.28	_ _ _ _	
120 M/1 घटाएँ पह Less alr जुर्माना			=	रुपये Rs. 4,75,833.60 रुपये Rs. 4,75,833.60		95	762
Penalty 1.	, 12% की दर से @ 12% =95x12x	3965.28		रुपये			
2.	12x1 18% की दर से @ 18% =762x39		=	Rs. 3767.01 रुपये			
	 12x100 घटाएं पहले भुगतान Less amount of p	 किये गये जुर्माने की		Rs. 45323.15 Rs. 49090.16	रुपये	s. 49090/- 0,000/-	
	शेष जुर्माने (उक्त 3 25% Rebale on E			शेष राशि/Balance	रूपये / रुपये Rs. 9	Rs. 39090/-	
	39090 पर / निवल देय on Rs. 39090/Ne				रूपये Rs. 29	9317/-	

### दिल्ली विकास प्राधिकरण

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

जुर्माना राहत योजना-2007 के अन्तर्गत भुगतान और गणना-पत्र का विवरण

#### DETAILS OF PAYMENT AND CALCULATION SHEET UNDER PENALTY RELIEF SCHEME-2007

1.	फाइल संख्या									
	File No									
	आबंटिती का नाम :									
	Name of the Allo		iss							
	फ्लैट संख्या और स्थ									
	Flat No. & Locali			Ph	one/Mobile No					
	आरम्भिक राशि और									
	Initial Amount &									
	आरम्भिक राशि जमा करने की तिथि									
	Date of Deposit of Initial Amount : आरम्भिक जमा राशि पर ब्याज, यदि कोई हो									
	Interest on Initial									
	प्रत्येक किस्त की रा									
	Amount of Each									
8.	किस्त आरम्भ करने	की तिथि								
	Date of commence									
		गोजना के अनुसार व			देखें :-					
	Pl. see the f	ootnote for working	ng out interest und	ler this scheme.						
 क्र.सं	नियत तिथि	जमा करन	राशि	महिनों में देरी		चालान	बैंक और शाखा			
Sr.	(प्रत्येक माह	जना करन की तिथि	Amount	मारुगा म ५रा को अवधि		यालान संख्या	Bank &			
Si. No.	भी 10 तारीख)	Date of	Amount	Belated Period		Challan	Branch			
110.	Due Date (10th	Deposit		in months		No.	Dranch			
	of each months)	F		First	Subsequent					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
				=======================================						
15.										
TOTAI										

.सं Sr. No.	नियत तिथि (प्रत्येक माह की 10 तारीख) Due Date (10th of each months)	जमा करन को तिथि Date of Deposit	राशि Amount	महिनों में देरी की अवधि Belated Period in months First	Subsequent	चालान संख्या Challan No.	बैंक और शाखा Bank & Branch
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16.							
17.							
18-							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25							
26.							
27							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							
35							
36.							
37							
38.							
39.							
40.							
TOTAL							

.सं Sr. No.	नियत तिथि (प्रत्येक माह की 10 तारीख) Due Date (10th of each months)	जमा करन को तिथि Date of Deposit	राशि Amount	महिनों में देरी की अवधि Belated Period in months First	Subsequent	चालान संख्या Challan No.	बैक और शाखा Bank & Branch
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
41.							
42.							
43-							
44.							
45.							
46.							
47.							
48.							
49							
50.							
51.							
52							
53.							
54.							
55.							
56.							
57.							
58.							
59.							
60							
61.							
62							
63.							
64.							
65.							
66.							
TOTAL							

.सं Sr. No.	नियत तिथि (प्रत्येक माह की 10 तारीख) Due Date (10th of each months)	जमा करन को तिथि Date of Deposit	राशि Amount	महिनों में देरी की अवधि Belated Period in months First	Subsequent	चालान संख्या Challan No.	बैक और शाखा Bank & Branch
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
67.							
68.							
69-							
70.							
71.							
72.							
73.							
74.							
75							
76.							
77.							
78							
79.							
80.							
81.							
82.							
83.							
84.							
85.							
86							
87.							
88							
89.							
90.							
91.							
TOTAL							

.सं Sr. No.	नियत तिथि (प्रत्येक माह की 10 तारीख) Due Date (10th of each months)	जमा करन को तिथि Date of Deposit	राशि Amount	महिनों में देरी को अवधि Belated Period in months First	Subsequent	चालान संख्या Challan No.	बैक और शाखा Bank & Branch
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
92.							
93.							
94-							
95.							
96.							
97.							
98.							
99.							
100							
101.							
102.							
103.							
104.							
105.							
106.							
107.							
108.							
109.							
110.							
111.							
112.							
113.							
114							
115							
116							
TOTAL							

.सं Sr. No.	नियत तिथि (प्रत्येक माह की 10 तारीख) Due Date (10th of each months)	जमा करन को तिथि Date of Deposit	राशि Amount	महिनों में देरी की अवधि Belated Period in months First	Subsequent	चालान संख्या Challan No.	बैक और शाखा Bank & Branch
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
117							
<ul><li>117.</li><li>118.</li></ul>							
110.							
120							
120							
121.							
123.							
123. 124.							
124.							
126.							
120.							
127.							
129.							
130.							
130.							
131.							
132.							
134.							
135.							
136.							
137.							
137.							
139.							
140							
141							
111							
TOTAL							

.सं Sr. No.	नियत तिथि (प्रत्येक माह की 10 तारीख) Due Date (10th of each months)	जमा करन की तिथि Date of Deposit	राशि Amount	महिनों में देरी की अवधि Belated Period in months First	Subsequent	चालान संख्या Challan No.	बैक और शाखा Bank & Branch
1.	2.	3.	4.	5.	Subsequent 6.	7.	8.
142.							
143.							
144.							
145							
146.							
147.							
148.							
149.							
150.							
151.							
152.							
153.							
154.							
155.							
156.							
157.							
158.							
159.							
160.							
161.							
162.							
163.							
164							
165							
166							
167							
TOTAL							

.सं Sr. No.	नियत तिथि (प्रत्येक माह की 10 तारीख) Due Date (10th	जमा करन को तिथि Date of Deposit	राशि Amount	महिनों में देरी की अवधि Belated Period in months		चालान संख्या Challan No.	बैंक और शाखा Bank & Branch
1.	of each months) 2.	3.	4.	First 5.	Subsequent 6.	7.	8.
168.							
169.							
170.							
171							
172.							
173.							
174.							
175.							
176.							
177.							
178.							
179.							
180.							
181.							
182.							
183.							
184.							
185.							
186.							
187.							
188.							
189.							
190							
191							
192							
193							
TOTAL							

.सं Sr. No.	नियत तिथि (प्रत्येक माह की 10 तारीख) Due Date (10th	जमा करन को तिथि Date of Deposit	राशि Amount	महिनों में देरी की अवधि Belated Period in months		चालान संख्या Challan No.	बैक और शाखा Bank & Branch
1.	of each months) 2.	3.	4.	First 5.	Subsequent 6.	7.	8.
194.							
195.							
196.							
197							
198.							
199.							
200.							
201.							
202.							
203.							
204.							
205.							
206.							
207.							
208.							
209.							
210.							
211.							
212.							
213.							
214.							
215.							
216							
217							
218							
TOTAL							

.सं Sr. No.	नियत तिथि (प्रत्येक माह की 10 तारीख) Due Date (10th of each months)	जमा करन को तिथि Date of Deposit	राशि Amount	महिनों में देरी को अवधि Belated Period in months First	Subsequent	चालान संख्या Challan No.	बैंक और शाखा Bank & Branch
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
219.							
220.							
221.							
222							
223.							
224.							
225.							
226.							
227.							
228.							
229.							
230.							
231.							
232.							
233.							
234.							
235.							
236.							
237.							
238.							
239.							
240.							
тотат							
TOTAL							

टिप्पणी : आवेदको से अनुरोध है कि वे उन चाालानों की प्रतियां संलग्न कनें, जिनके द्वारा किश्तों / ब्याज का भुगतान किया गया है । NOTE : Applicants are requested to attach the copies of challans through which instalments/interest have been paid

बैंकों की अधिकृत शाखाओं में भुगतान करने के बाद आबंटि द्वारा संबंधित लेखा अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले भुगतान सूचना-पत्र का नमूना ।

### Specimen intimation letter of payment to be transmitted to the AO concerned by the allottee after the payment in Authorised Branches of Banks.

प्रेषक	(कृपया नाम् और पता
From:	साफ अक्षरों में लिखें)
	(Please write name and address
	in BLOCK CAPITAL LETTERS)
सेवा में/To	
लेखा  अधिकारी,⁄ The Accounts Officer,	(योजना अर्थात् सामान्य/आर.पी.एस/एन.पी.आर.एस.
	ए.ए.वाई, द्वारका(
	(Scheme i.e. GENL/RPS/NPRS/AAY)
	(Zone i.e. North/South/East/West/Rohini/Dwarka)
काउंटर सं0 11, डी-ब्लाक, भूतल,	
विकास सदन, नई दिल्ली-110023	
Counter No. 11, D-Block, Ground Floo	or,
Vikas Sadan, New Delhi-110023	
	ब्लॉकपाकेटपाकेट
	के संबंध में किस्त और जुर्माने का भुगतान ।
	o flat NoBlock
PocketLocality	 वाई./ई.एच.एस./एस.सी.डी.  जनता/ई.डब्ल्.एसएच.एस.एम.के.जे.डी-2001  एच.आई.जी.
पी.एम.,के.एम. (जो योजना लागू हो, उस पर सही	कા ાવશાવ ભગાય) CD/All Janta/EWS-HSMKJD-2201, HIG Scheme on HP, Punjab Migrant,
Kashmir Migrant (Please tick the application	
फाइल सं.	no sonomo,
File No.	
(कृपया आबंटन पत्र में दी गई सही फाइल	
( •	,
(Please fill up the complete and corre	Mobil No
महोदय/Dear Sir,	Woon No
•	प्रा. की जुर्माना राहत योजना 2007 के अंतर्गत दि.वि.प्रा. द्वारा दी गई राहत का लाभ
	रु० और जुर्माने के रूप मेंरु० सहित कुल
	(03
	प्तकी शाखा का उल्लेख करें) मैं दिनांक को चालान
	से जमा करा दिए हैं। चालान की तीसरी प्रति संलग्न है।
	DA under its scheme PENALTY RELIEF SCHEME-2007 in respect of my
	of Rs(Rupees(Rupees
) through o	challan No(date) with
	(Indicate bank name and its branch) towards payment of instalments
	and Penalty amount RsThird copy of challan is enclosed.
	तक की सभी मासिक किश्तों का भुगतान कर दिया है और इसलिए मै
उपर्युक्त राहत योजना के अंतर्गत राहत का लाभ	
	alments due upto have since been paid and,
therefore, claiming the relief under the above	mentioned Relief Scheme.
	पावती/ıCKNOWLEDGEMENT
	आवेदन करने के लिए धन्यवाद
	THANKS FOR YOUR RESPONSE
	, चालान संख्यादिनांकदिनांक
की तीसरी प्रति के साथ प्राप्त हो गया है।।	
	th third copy of challan Nodatedhas been received
in DDA.	

(दि.वि.प्रा. के कर्मचारी के हस्ताक्षर) (Signature of the DDA Official) (आबंटि द्वारा भरा जाए)
(To be filled in by allottee)
मामले को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा समेकन को आसान बनाने के लिए नीचे
दिए गए अनुसार अनुबंध ''क'' में भुगतान का विवरण दें।
Please give details of payment in form Annexure 'A' for facilitating early finalisation and consolidated position as under

दी गई किश्तें Instalment Paid		दिया गया जुर्माना Instalment Paid					
उन किश्तों की संख्या, जिनमें आवेदन की तिथि तक भुगतानें में चूक की गई है । No. of Instalment in default upto date of	1		पूक वाली तों की राशि al amount f default Rs.	चूक की अवधि Period of default		जुर्माना Penalty Rs.	
application 1	2	3		4		5	
पहले से भुगतान की गई राशि Amount already Paid Rs. 6	बकाया जुर्माना राशि Balance Penalty Rs. 7		25% rebate available on 5-6=7 8		Penalty now deposited 9		

धन्यवाद Thanking you,

> भवदीय, Yours faithfully,

संलग्न : चालान की तीसरी प्रति Encl : Third copy of challan Other required documents. (आबंटि/आवेदक के हस्ताक्षर)

(Signature of the allottee/Applicants)

#### Penalty Relief Scheme-2007

फ्लेटस की किश्तों के भुगतान हेतु PAYMENT OF INSTALMENTS FOR FLATS

### दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA



चालान सं0

CHALLAN NO.

प्रथम प्रति∕FIRST COPY

(To be retained by the Bank)

दिल्ली विकास प्राधिकरण DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY					
रिनांक वर्ग DATE / / CATEGORY					
योजना : सामान्य न्यू पेट.यो. से.मु.क.यो. अ.आ.यो. जनता					
SCHEME GENL NPRS RPS AAY JANTA					
एस.सी.डी. ई.एच.एस एच.आई.जी. पी.एम. के.एम.					
SCD EHS HIG P.M. K.M. फाइल सं0 FILE No.					
नाम					
NAME					
ब्लाक पॉकेट सेक्टर फ्लोर फ्लैट सं0					
BLK PKT. SEC. FLOOR FLAT No.					
PHONE NOMOBIL NOस्थान					
LOCALITY					
डाक पता					
POSTAL ADD.					
भुगतान विधि कोड राशि पै. TYPE OF PAYMENT, ∠CODF, AMOUNT P.					
Payment of					
instalment 1 4 1					
Penalty					
Cost of form if down Load from website कुल राशि					
TOTALAMOUNT					
कुल राशि (शब्दों में)					
Total amount (in words) Rs					
मांग ड्राफ्ट सं0 दिनांक बैंक					
Demand Draft No Date Bank Bank					
S.B.I. A/c. No. 10938402145					
प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर Signature of the Tenderer					
उक्त राशि प्राप्त होने की तारीख Received the above amount on					
बैक कोड					
खाता संo ACCOUNT No.:					
जमा की तारीख/CREDIT DATE					
शाखा प्रबंधक (की दिनांक की सील सहित)					
BRANCH MANAGER (with dated seal)					
नोट : शर्ते तथा कोडों के लिए कृपया पीछे देखें । Note : For Conditions & Codes, please see on reverse.					

#### Penalty Relief Scheme-2007

फ्लेटस की किश्तों के भुगतान हेतु PAYMENT OF INSTALMENTS FOR FLATS

### ल्ली विकास प्राधिकरण DDA



चालान सं0

CHALLAN NO.

द्वितीय प्रति/SECOND COPY

(To be sent to A/O DDA by the Bank)	(To be returned to the tenderer for sumission to DDA)				
दिल्ली विकास प्राधिकरण DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY	दिल्ली विकास प्राधिकरण DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY				
दिनांक वर्ग	दिनांक वर्ग				
DATE / CATEGORY	DATE / CATEGORY				
योजना : सामान्य न्यू पेट.यो. से.मु.क.यो. अ.आ.यो. जनता	योजना : सामान्य न्यू पेट.यो. से.मु.क.यो. अ.आ.यो. जनता				
SCHEME GENL NPRS RPS AAY JANTA	SCHEME GENL NPRS RPS AAY JANTA				
एस.सी.डी. ई.एच.एस एच.आई.जी. पी.एम. के.एम.	एस.सी.डी. ई.एच.एस एच.आई.जी. पी.एम. के.एम.				
SCD EHS HIG P.M. K.M. Wiser सं0	SCD EHS HIG P.M. K.M. Whise सं0				
FILE No.	FILE No.				
	_				
пн	<del>п</del> н				
NAME	NAME				
ब्लाक पॉकेट सेक्टर फ्लोर फ्लैट सं0	ब्लाक पॉकेट सेक्टर फ्लोर फ्लैट सं0				
BLK PKT. SEC. FLOOR FLAT No.	BLK PKT. SEC. FLOOR FLAT No.				
PHONE NOMOBIL NOMOBIL NO	PHONE NOMOBIL NO				
स्थान	स्थान				
LOCALITY	LOCALITY				
डाक पता	डाक पता				
POSTAL ADD.	POSTAL ADD.				
भुगतान विधि कोड राशि पै.	भुगतान विधि कोड राशि पै.				
TYPE OF PAYMENT CODE AMOUNT P.	TYPE OF PAYMENT CODE AMOUNT P.				
Payment of instalment	Payment of instalment				
Penalty 1 4 1	Penalty 1 4 1				
Cost of form if down Load from website	Cost of form if down Load from website				
कुल राशि	कुल राशि				
TOTALAMOUNT	TOTALAMOUNT				
कल राश (शब्दों में)	कुल राशि (शब्दों में)				
Total amount (in words) Rs	Total amount (in words) Rs				
मांग डाफ्ट सं0 दिनांक वैक	मांग डाफ्ट सं0 दिनांक बैंक				
Demand Draft NoBank	Demand Draft NoDateBank				
C.B.I. A/c. No. 1014042416	C.B.I. A/c. No. 1014042416				
S.B.I. A/c. No. 10938402145	S.B.I. A/c. No. 10938402145				
प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर Signature of the Tenderer	प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर Signature of the Tenderer				
उक्त राशि प्राप्त होने की तारीख Received the above amount on	उक्त राशि प्राप्त होने की तारीख Received the above amount on				
वैक कोड वैक शाखा	वैक कोड वैक शाखा				
BANK CODE BANK BRANCH	BANK CODE BANK BRANCH				
खाता सं0 ACCOUNT No.:	खाता सं0 ACCOUNT No. :				
जमा की तारीख/CREDIT DATE	जमा की तारीख/CREDIT DATE				
शाखा प्रबंधक (की दिनांक की सील सहित)	शाखा प्रबंधक (की दिनांक की सील सहित)				
BRANCH MANAGER (with dated seal)	BRANCH MANAGER (with dated seal)				
नोट : शर्ते तथा कोडों के लिए कृपया पीछे देखें ।	नोट : शर्ते तथा कोडों के लिए कृपया पीछे देखें ।				
Note : For Conditions & Codes, please see on reverse.	Note: For Conditions & Codes, please see on reverse.				

Penalty Relief Scheme-2007

फ्लेटस की किश्तों के भुगतान हेतु

PAYMENT OF INSTALMENTS FOR FLATS

चालान सं0

CHALLAN NO.

तृतीय प्रति/THIRD COPY

विकास प्राधिकरण

**DDA** 

1. बैंक में स्वीकृति राशि नकद वसूल होने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण/पट्युकर्ता के

2. आवंटन के रद्द होने अथवा किसी भी कारण से देय दिनांक के बाद उपर्युक्त प्राधिकरणद की विशेष अनुमति बिना किया गया भुगतान पिछली किसी भूल चुक की पूर्ति

विभागों/दि.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत करने पर मान्य है ।

सम्बन्ध में वह राशि जमा कराई गई है।

अधिकार/दावों पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना एवं स्थिति अनुसार आवंटन/पटटे पर/

लाइसेंस के अधीन नियम व शर्तों के आधार पर देय राशि, सम्बन्धित शाखाओं/

नहीं माना जाएगा और यह आवंटन उपरान्त निरसन अथवा भुगतान के देय दिनांक के

उपरान्त उपचयन पर प्राधिकरण के अधिकारी पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं डालेगा ।

द्वारा जमा कराई गई राशि उस व्यक्ति को दि.वि.प्रा./भारत सरकार की चल-अचल

सम्पत्ति पर किसी अधिकार. स्वत्वाधिकार ब्याज का अधिकारी नहीं बनायेगी जिस

3. दि.वि.पा. के किसी भी बैंक खाते में दि.वि.पा. की लिखित मांग के बिना किसी व्यक्ति

शर्तें

 वैक में स्वीकृति राशि नकद वसूल होने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण/पट्युकर्ता के अधिकार/दावों पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना एवं स्थिति अनुसार आवंटन/पटटे पर/ लाइसेंस के अधीन नियम व शर्तों के आधार पर देय राशि, सम्बन्धित शाखाओं/

विभागों/दि.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत करने पर मान्य है ।

- 2. आवंटन के रद्द होने अथवा किसी भी कारण से देय दिनांक के बाद उपर्युक्त प्राधिकरणद की विशेष अनुमित बिना किया गया भुगतान पिछली किसी भूल चूक की पूर्ति नहीं माना जाएगा और यह आवंटन उपरान्त निरसन अथवा भुगतान के देय दिनांक के उपरान्त उपचयन पर प्राधिकरण के अधिकारी पर कोई प्रतिकल प्रभाव नहीं डालेगा ।
- 3. दि.वि.प्रा. के किसी भी बैंक खाते में दि.वि.प्रा. की लिखित मांग के विना किसी व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई राशि उस व्यक्ति को दि.वि.प्रा./भारत सरकार की चल-अचल सम्पत्ति पर किसी अधिकार, स्वत्वाधिकार व्याज का अधिकारी नहीं बनायेगी जिस सम्बन्ध में वह राशि जमा कराई गई है ।

#### CONDITIONS

- The acceptance of the money by the Bank is subject to realisation of the amount in cash & acceptance of the dues by the concerned branches/Department /DDA without prejudice to the rights or claim of DDA/lessor under the terms and conditions of the allotment/ lease/licence as the case may be.
- 2. Payment of any amount without express permission of the competent Authority after the cancellation of the allotment or after the date by which payment was due for any reason whatsoever shall not amount to condoning any default which may have been committed and shall be without prejudice to the rights of the Authority that may have accrued to it after cancellation of the allotment or after the date on which the payment was due.
- 3. Deposit of any money by a person in any account of DDA with its bankers beyond the date stipulated in the demand notice or without the express demand of the DDA shall not be deemed to create any right, title or interest of that person in any property moveble or immovable of the DDA/Government of India in respect of which such money may have been deposited.

All DDA Payments accepted in the following branches of Banks

सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया/Central Bank of India INA, DDA Office, Vikas Sadan, New Delhi

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/State Bank of India INA, DDA Office, Vikas Sadan, New Delhi

#### **CONDITIONS**

- The acceptance of the money by the Bank is subject to realisation of the amount in cash & acceptance of the dues by the concerned branches/Department /DDA without prejudice to the rights or claim of DDA/lessor under the terms and conditions of the allotment/ lease/licence as the case may be.
- 2. Payment of any amount without express permission of the competent Authority after the cancellation of the allotment or after the date by which payment was due for any reason whatsoever shall not amount to condoning any default which may have been committed and shall be without prejudice to the rights of the Authority that may have accrued to it after cancellation of the allotment or after the date on which the payment was due.
- 3. Deposit of any money by a person in any account of DDA with its bankers beyond the date stipulated in the demand notice or without the express demand of the DDA shall not be deemed to create any right, title or interest of that person in any property moveble or immovable of the DDA/Government of India in respect of which such money may have been deposited.

All DDA Payments accepted in the following branches of Banks

सैन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया/Central Bank of India INA, DDA Office, Vikas Sadan, New Delhi

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/State Bank of India INA, DDA Office, Vikas Sadan, New Delhi शर्तें

- 1. वैक में स्वीकृति राशि नकर वसूल होने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण/पटट्राकर्ता के अधिकार/दावों पर प्रतिकृल प्रभाव डाले विना एवं स्थिति अनुसार आवंटन/पटटे पर/लाइसेंस के अधीन नियम व शर्तों के आधार पर देय राशि, सम्बन्धित शाखाओं/विभागों/दि.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत करने पर मान्य है ।
- 2. आवंटन के रद्द होने अथवा किसी भी कारण से देय दिनांक के बाद उपर्युक्त प्राधि करणद की विशेष अनुमित बिना किया गया भुगतान पिछली किसी भूल चूक की पूर्ति नहीं माना जाएगा और यह आवंटन उपरान्त निरसन अथवा भुगतान के देय दिनांक के उपरान्त उपचयन पर प्राधिकरण के अधिकारी पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं डालेगा ।
- 3. दि.वि.प्रा. के किसी भी बैंक खाते में दि.वि.प्रा. की लिखित मांग के बिना किसी व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई राशि उस व्यक्ति को दि.वि.प्रा./भारत सरकार की चल-अचल सम्पित्त पर किसी अधिकार, स्वत्वाधिकार व्याज का अधिकारी नहीं बनायेगी जिस सम्बन्ध में वह राशि जमा कराई गई है ।

#### **CONDITIONS**

- The acceptance of the money by the Bank is subject to realisation of the amount in cash & acceptance of the dues by the concerned branches/Department /DDA without prejudice to the rights or claim of DDA/lessor under the terms and conditions of the allotment/ lease/licence as the case may be.
- 2. Payment of any amount without express permission of the competent Authority after the cancellation of the allotment or after the date by which payment was due for any reason whatsoever shall not amount to condoning any default which may have been committed and shall be without prejudice to the rights of the Authority that may have accrued to it after cancellation of the allotment or after the date on which the payment was due.
- 3. Deposit of any money by a person in any account of DDA with its bankers beyond the date stipulated in the demand notice or without the express demand of the DDA shall not be deemed to create any right, title or interest of that person in any property moveble or immovable of the DDA/Government of India in respect of which such money may have been deposited.

All DDA Payments accepted in the following branches of Banks

सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया/Central Bank of India INA, DDA Office, Vikas Sadan, New Delhi

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/State Bank of India INA, DDA Office, Vikas Sadan, New Delhi

### Penalty Relief Scheme-2007

फ्लेटस की किश्तों के भुगतान हेतु PAYMENT OF INSTALMENTS FOR FLATS

विकास प्राधिकरण क्का

चालान सं0

CHALLAN NO. चौथी प्रति∕FOURTH COPY

(To be made over to the tenderer by the Bank for his record)

दिल्ली विकास प्राधिकर <b>ण</b> DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY दिनांक
DATE / CATEGORY
योजना : सामान्य न्यू पेट.यो. से.मु.क.यो. अ.आ.यो. जनता
SCHEME GENL NPRS RPS AAY JANTA एस.सी.डी. ई.एच.एस एच.आई.जी. पी.एम. के.एम.
SCD EHS HIG P.M. K.M. फाइल सं0 FILE No.
नाम
NAME NAME
<u>ब्लाक पॉकेट सेक्टर फ्लोर फ्लैट सं0</u>
BLK PKT. SEC. FLOOR FLAT No.
PHONE NOMOBIL NO
LOCALITY
डाक पता
POSTAL ADD.
भुगतान विधि कोड राशि पै. $\Upsilon$ TYPE OF PAYMENT $_{\Lambda}$ CODE AMOUNT P.
Payment of
instalment 1 4 1
Penalty
Cost of form if down Load from website
कुल राशि TOTALAMOUNT
कुल राशि (शब्दों में)
Total amount (in words) Rs
मांग ड्राफ्ट सं0 दिनांक बैक
Demand Draft No Date Bank  C.B.I. A/c. No. 1014042416
S.B.I. A/c. No. 10938402145
प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर Signature of the Tenderer
उक्त राशि प्राप्त होने की तारीख
Received the above amount on वैक कोड वैक शाखा
BANK CODE BANK BRANCH
खाता सं0 ACCOUNT No.:
जमा की तारीख/CREDIT DATE // //
शाखा प्रबंधक (की दिनांक की सील सहित) BRANCH MANAGER (with dated seal)
नोट : शर्ते तथा कोडों के लिए कृपया पीछे देखें ।

Note: For Conditions & Codes, please see on reverse.

ı					ı		
	R	s.	P.	1			
x1000							
x 500							
x 100							
x 50							
x 20							
x 10							
x 5							
x 2							
x 1							
Coins							
Total							
Demand Draft No.		Date	Name of t	he Bank	F	Rs.	٩m٥
1.							
2.							
3.							
						<u> </u>	
II DDA Paym र्नेन्ट्रल बेंक NA, DDA ( टेट बेंक NA, DDA (	ऑफ Office, \ ऑफ इ	इण्डिया /ikas Sa इंडिया/Sta	∕Central dan, Nev ate Bank	Bank o Delhi of Indi	of Ir		

Amount